



नवयुगे

ज्यूडिशियरी फाउंडेशन अध्याय 9.0
(हिंदी माध्यम)



15th September 2026



76-4000-3000

पाठ्यक्रम में शामिल राज्य

1. उत्तर प्रदेश
2. राजस्थान
3. मध्य प्रदेश
4. छत्तीसगढ़
5. बिहार
6. उत्तराखंड



Syllabus (उत्तर प्रदेश ज्यूडिशियरी)

प्रारंभिक परीक्षा

PAPER 1 (GK)

PAPER 2 (LAW):- विधिशास्त्र , अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मामले , भारतीय संविधान, संपत्ति अंतरण अधिनियम , भारतीय साक्ष्य अधिनियम
भारतीय दंड संहिता , सिविल प्रक्रिया संहिता , दंड प्रक्रिया संहिता , अनुबंध कानून

मुख्य परीक्षा

PAPER 1 सामान्य ज्ञान

पेपर II अंग्रेजी भाषा

पेपर III हिंदी भाषा

पेपर IV विधि - I (मूल विधि)

पेपर V विधि-II (प्रक्रिया एवं साक्ष्य विधि)

पेपर VI कानून-III (दंड, राजस्व और स्थानीय कानून)

Syllabus (राजस्थान ज्यूडिशियरी)

प्रारंभिक परीक्षा

कानून

अंग्रेज़ी कुशलता

हिंदी प्रवीणता

मुख्य परीक्षा

विधि पेपर - I

विधि पेपर - II

पेपर - I हिंदी निबंध

पेपर - II अंग्रेजी निबंध

Syllabus (मध्य प्रदेश ज्यूडिशियरी)

प्रारंभिक परीक्षा

PAPER 1 (GK)

PAPER 2 (LAW):- भारत का संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1872 का संविदा अधिनियम, विशिष्ट राहत अधिनियम, परिसीमा अधिनियम, मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, मध्य प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, परक्राम्य लिखत अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम,

मुख्य परीक्षा

विधि पेपर – I:- भारत का संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1872 का संविदा अधिनियम, विशिष्ट राहत अधिनियम, परिसीमा अधिनियम

पेपर – II:- लेखन, अनुवाद

विधि पेपर – III:- मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, मध्य प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, परक्राम्य लिखत अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,

विधि पेपर – IV:- मुद्दों का निर्धारण, आरोपों का निर्धारण, निर्णय या आदेश (सिविल) लेखन, आपराधिक मामले में निर्णय या आदेश का लिखित दस्तावेज

Syllabus (छत्तीसगढ़ ज्यूडिशियरी)

प्रारंभिक परीक्षा

PAPER 1 (GK)

PAPER 2 (LAW):- भारतीय न्याय संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारत का संविधान, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम, परिसीमा अधिनियम, छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम, न्यायालय शुल्क अधिनियम, विशिष्ट राहत अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम, छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, परक्राम्य लिखत अधिनियम, छत्तीसगढ़ उत्पाद शुल्क अधिनियम

मुख्य परीक्षा

- सिविल मामलों में निर्णय लिखना और मुद्दों का निर्धारण करना
- आपराधिक मामलों में निर्णय लिखना और आरोप तय करना
- अनुवाद: अंग्रेज़ी से हिंदी
- हिंदी से अंग्रेज़ी अनुवाद

Syllabus (बिहार ज्यूडिशियरी)

प्रारंभिक परीक्षा

PAPER 1 (GK)

PAPER 2 (LAW):- साक्ष्य और प्रक्रिया का कानून

भारत का संवैधानिक एवं प्रशासनिक कानून

हिंदू कानून और मुस्लिम कानून

संपत्ति हस्तांतरण का कानून

समानता के सिद्धांत

ट्रस्ट कानून और विशिष्ट राहत

अनुबंध और अपकृत्य कानून

वाणिज्यिक कानून

मुख्य परीक्षा

सामान्य अंग्रेजी:- Unseen passage, Summary or précis writing
Letter writing

सामान्य ज्ञान:- भारतीय इतिहास, संस्कृति, भूगोल, राजव्यवस्था, समसामयिक घटनाएँ, मुद्राएँ एवं राजधानियाँ, सामान्य ज्ञान

सामान्य विज्ञान

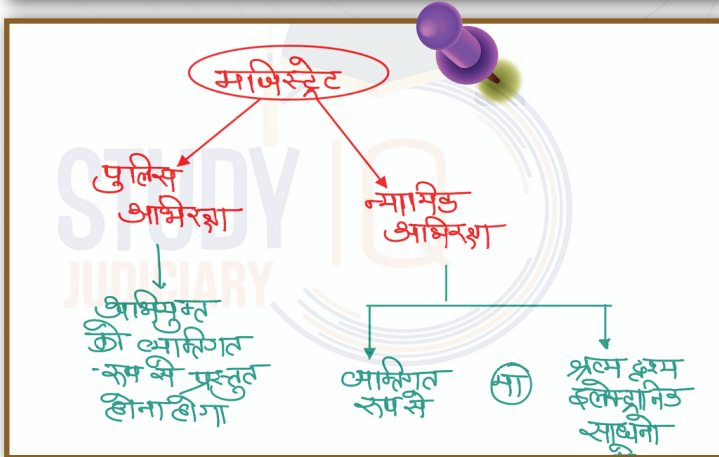
सामान्य हिंदी:- निबंध, वाक्य विन्यास, व्याकरण

साक्ष्य और प्रक्रिया का कानून:- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम

Hand Written Notes in Hindi

धारा - 107 BNSS

- यदि कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरक्षर है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण द्वारा 58 द्वारा निम्नित 24 घंटे में पूरी नहीं किया जा सकता तो अभिरक्षा को अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को अपनी-रीक्षण से निम्नतर व्यक्ति का नहीं है तो वह निम्न मजिस्ट्रेट की भांति में विहित दायरी की संबंधित प्रक्रियाओं की एक प्रतिलिपी के साथ अभिरक्षा को मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे।



धारा 38: गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार से मिलने का अधिकार

- गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान चुने हुए वकील से मिलने का सुरक्षित है। हालाँकि, यह अधिकार पूछताछ के दौरान पूर्ण अधिकार तक सीमित है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त हो और साथ ही पुलिस को प्रभावी ढंग से पूछताछ करने की अनुमति प्रवर्तन की माँगों और निष्पक्ष बचाव की आवश्यकता के बीच समझौते।

धारा 39: नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी

- जब कोई व्यक्ति जिसने असंज्ञेय अपराध किया है या करने का संदेह छुपाता है या भ्रामक जानकारी देता है, तो इसे धारा 39 के अधीन आता है। **का वास्तविक नाम का पता लगाने के लिए, पुलिस अधिकारी उसे चुन सकता है।** व्यक्ति के वास्तविक नाम और निवास स्थान की पुष्टि हो जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, तथा यदि आवश्यक हो तो मजि अनिवार्य होगा।
- यदि व्यक्ति भारत में नहीं रहता है, तो भारत में रहने वाले जमानतदा होगी। यदि एक दिन में सही पहचान निर्धारित नहीं की जा सकती है या यह से इनकार करता है, तो उन्हें तुरंत अधिकार क्षेत्र वाले निकटतम मजिस्ट्रेट यह खंड सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति सटीक जानकारी देने से इनकार करे, साथ ही न्यायिक निगरानी के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा भी।

धारा 40: प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया

- मजिस्ट्रेट अभिरक्षा के व्यक्ति को 30 दिनों के अंदर से आगे के लिए अन्वेषण प्रारम्भ कर सकता है जिसमें न लगता है कि ऐसा कि कि पर्याप्त विद्यमान है किन्तु कोई भी मजिस्ट्रेट धारा में दी हुई सम्भावनाओं से अन्वेषण के दौरान अभिरक्षा को कर सकता है।

→ 30-दिन, यदि अपराध का दायरा 10 वर्ष की अवधि से कम है।
60-दिन, अन्य अपराध का दायरा 10 वर्ष से अधिक है।

गिरफ्तारी

वाक्यांश: 46

धारा 35

परिचय

- गिरफ्तारी अपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह कानून प्रवर्तन एजेंडों को उन लोगों को हिरासत में लेने की क्षमता प्रदान करती है जिनके बारे में उनका मानना है कि वे अपराध कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, निगरानी में रखने या कानूनी संरक्षण में रखने का कार्य है, जब यह माना जाता है कि उसने कोई अपराध किया है। शब्दकोशों के अनुसार "गिरफ्तारी" की परिभाषाओं में "निष्क्रिय करना", "रोकना", "अचानक और आकर्षक ढंग से पकड़ना" या "कानून के अधिकार द्वारा हिरासत में लेना या हिरासत में लेना" शामिल हैं। सामान्य तौर पर, गिरफ्तारी की परिभाषा किसी व्यक्ति की गतिविधि को समाप्त करना है।
- हर मामले में पुलिस अधिकारी को तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षण करनी होती है और तय करना होता है कि वह गिरफ्तार करेगा या नहीं। अगर उसे गिरफ्तार नहीं भी किया जाता है तो भी बीएनएस की धारा 179 का नोटिस जारी करने के उचित अन्वेषण की जा सकती है।

- **संज्ञेय अपराध** जिसके लिए सात साल की सजा हो सकती है (खंड c): यदि किसी पुलिस अधिकारी को विश्वसनीय जानकारी मिले कि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए अधिकतम सात साल की जेल या मृत्युदंड की सजा हो सकती है, तो अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। दी गई जानकारी के आधार पर, अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है।
- **उदघोषित अपराधी** (खंड d): बिना वारंट के, किसी ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया जा सकता है जिसे संहिता या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया गया हो।
- **संदिग्ध चोरी की संपत्ति का कब्जा** (खंड e): यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जो संभवतः चोरी की गई है, और इस बात की उचित संभावना है कि उसने उस वस्तु से संबंधित कोई अपराध किया है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
- **पुलिस अधिकारी के कार्य में बाधा डालना या अभिरक्षा से भागना** (खंड f): जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी के कर्तव्य निष्पादन में बाधा डालता है या विधिपूर्ण अभिरक्षा से भाग जाता है या भागने का प्रयास करता है, उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।
- **सशस्त्र बल से अभित्याजक** (खंड g): कोई भी व्यक्ति जो संघ के किसी भी सशस्त्र बल से अभित्याजक होने का उचित संदेह हो, उसे अभिरक्षा में लिया जा सकता है।

कोर्स का विवरण

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा

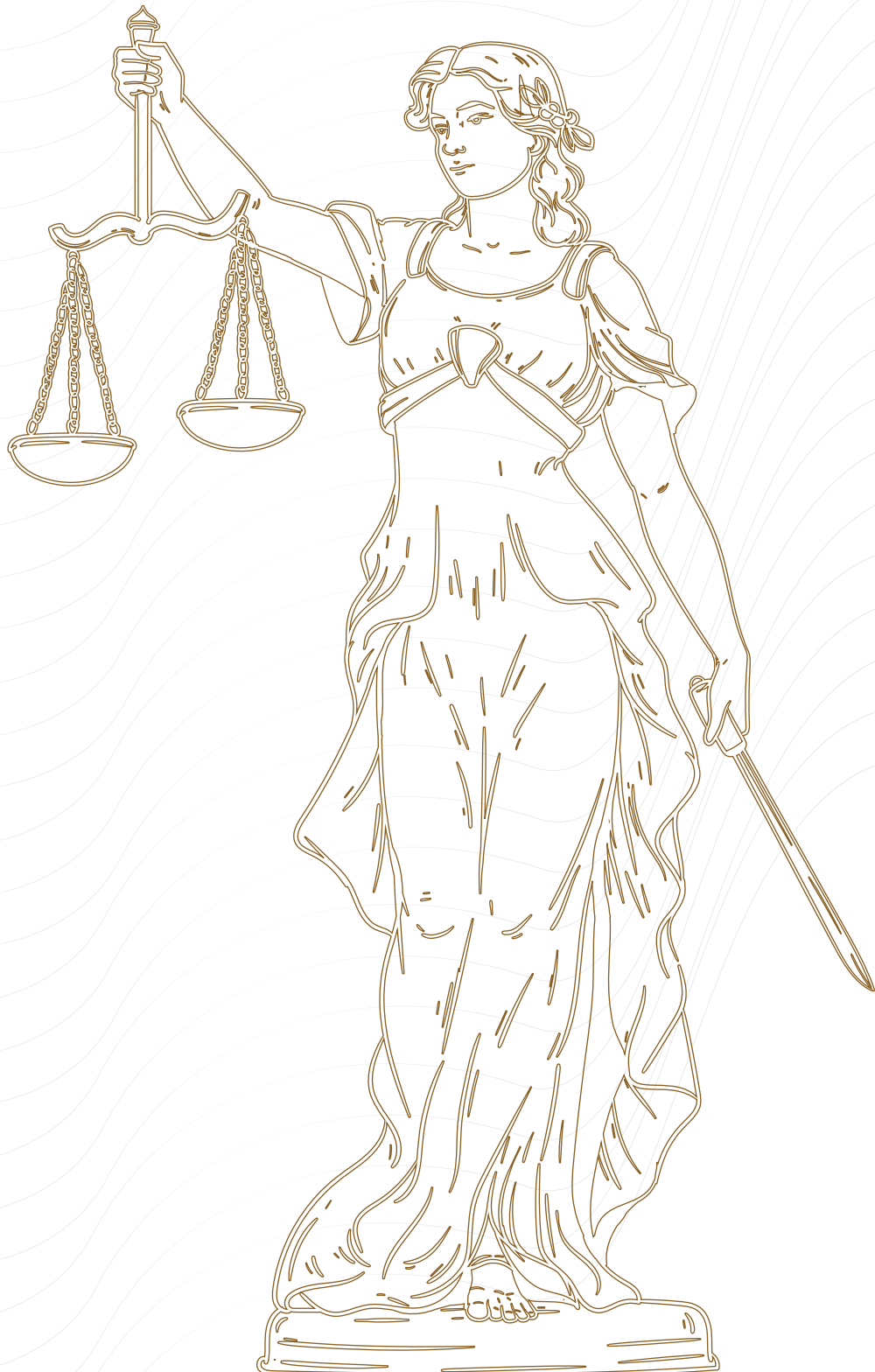
- बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) के माध्यम से रिवीजन
- टेस्ट सीरीज़
- साप्ताहिक उत्तर लेखन
- मुख्य परीक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम

कक्षाएं

- 30+ विषय
- 5 राज्यों के स्थानीय कानून
- सामान्य अध्ययन
- हिंदी

साक्षात्कार

- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा
मॉक इंटरव्यू



Our Faculty



Pranjal Singh

- LL.B., LL.M., Ph.D (Pursuing)
- Chancellor Gold Medalist
- 7 years of teaching experience



Nishank Agrawal

- 5+ years of Experience
- LL.B. & LL.M. (Criminal Law)
- 1000+ Students Mentore
- UGC-NET (Law) Qualified (Twice)



Rekha Rathore

- LL.B., LL.M.
- 8 years teaching experience
- UGC-NET (Law) Qualified



Deeksha Choudhary

- B.A. LL.B. (hons.)
- LL.M.
- NLU LKO
- 5 years + teaching Experience



Shashank Yadav

- 7+ Years of Teaching Experience
- LL.M. (Constitutional Law)
- Mentored 1000+ Students for Judiciary and CLAT Exams



Amit Anand

- B.A. LL.B. (Hons.)
- 5+ Years of Teaching Experience
- 5000+ Students Mentored



Muskan Kesharwani

- B.A. LL.B. (Hons), CS
- Exams Qualified: UPPCSJ Interview, MPCJ Mains, Delhi Judiciary Mains



Abhishek Bhatt

- LL.B. & LL.M.
- Ph.D. Scholar (Technology Law & AI)
- 5+ Yrs of Teaching Experience
- UGC-NET (Law) Qualified



Anand Mishra

- BA.LLB(H), LLM (Criminal Law)
- Advance Diploma in ADR
- 30+ Judges, 50+ APO Qualified under Guidance
- 7+ Years of Teaching Experience



Kajol Sharma

- M.A.(ECONOMICS)
- LL.B.
- 5+ yrs of Teaching Experience



Saumya Singh

- B.A. LL.B. (Hons.)
- LL.M. (Corporate Law)
- Digital Educator & Mentor
- Mentored 1000+ Law Aspirants



Renu Nagar

- B.A Program
- M.A (History)
- Digital Educator & content creator
- Mentored 800+ Law , UGC NET & CUET Aspirants

Our Price

Price: ~~₹30,999~~

₹22,999



Reach Out To Us At

☎ 76-4000-3000